HRC Gazette

of The

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 133] No. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2011

सा.का.नि. 212(अ),—केन्द्रीय सरकार भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है ;
- (ख) "बोर्ड" से इन नियमों के अधीन गठित परीक्षक बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) "बायलर प्रचालन इंजीनियर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ;
- (घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है :
- (डं) "मुख्य निरीक्षक" का वही अर्थ है जो बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 2 के खंड (ग) में है ;
- (च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (छ) "सरकार" से राज्य सरकार या संघ राजयक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है ;

ADO DE LA

- (ज) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;
- (झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (ञ) इन नियमों में किसी बायलर या बायलरों के प्रतिनिर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत इकानामाईजर या इकानामईजरों के प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय 2 साधारण

3. बायलरों के प्रचालन का पर्यवेक्षक-

किसी एकल बायलर या बैटरी में जुड़े हुए दो या अधिक बायलर या किसी भी दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक कुल ऊष्मा वाले 50 मीटर की परिधि के भीतर स्थित पृथक् व्यष्टिक बायलरों का खामी तब तक उसका उपयोग नहीं करेगा या उसके उपयोग की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक बायलर या बायलरों को, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी संख्या में बायलर परिचालकों के अतिरिक्त नियम 4 में विनिर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष प्रभार में न रखा जाए :

परंतु मुख्य निरीक्षक, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी बायलर परिचालक को तीन मास की अधिकतम अविध के लिए बायलर का प्रभारी बने रहने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परंतु यह और कि इन नियमों की कोई बात, बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन प्रदत्त प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति को हाजिर होने और किसी आकार के बायलर या बायलरों के भारसाधक होने से विवर्जित नहीं करेगी और इन नियमों प्रयोजन के लिए ऐसा कोई प्रमाण पत्र इन नियमों के अधीन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा।

4. सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र रखेगा और अर्हता की सीमा धारण करना-

किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास इन नियमों के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र नहीं है, नियम 3 में अधिकथित सीमाओं वाले बायलर या बायलरों का प्रभार धारण करने के लिए उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं समझा जाएगा।

5. प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना-

इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाला बायलर प्रचालन इंजीनियर, जब उससे, अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश प्रस्तुत करने हेतु मांग करने के लिए धारा 15 के अधीन सशक्त व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो उसके प्रभार या हाजिरी में किसी बायलर की अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा।

6. स्वामी द्वारा बायलर मुख्य निरीक्षक या निदेशक को प्रमाण पत्र की विशिष्टियां प्रस्तुत करना-

- (1) किसी बायलर का स्वामी, जो किसी व्यक्ति को उसका भारसाधक नियुक्त करता है, ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक को ऐसे व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत क्रम संख्या धारित किए जाने वाले उसके प्रमाण पत्र की, उस रूप में तारीख और जारी करने का स्थान भी है, प्रस्तुत करेगा।
- (2) किसी बायलर का ऐसा स्वामी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के रथान पर, जो उपनियम (1) के अधीन भारसाधक है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपना नियोजन छोड़े जाने की दशा में या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, ऐसे बायलर का प्रभार लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशकों को सात दिन के भीतर उस तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

7. हाजिरी, अनुतोष की दैनिक अवधि की सीमाएं और कार्यक्षमता

- (1) किसी बायलर के भार साधक व्यक्ति को, जब वह ऐसे बायलर के 100 मीटर के भीतर हो तो उसका प्रत्यक्ष और अव्यवहित प्रभारी समझा जाएगा ।
- (2) किसी ऐसे बायलर के, जिनके लिए इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र अपेक्षित है, किसी भारसाधक व्यक्ति को दो से अनिधक अविधयों के लिए किसी एक दिन में भार से भारयुक्त किया जा सकेगा जो, बायलर परिचारक के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संयोजित करने पर दो घंटे से अधिक नहीं होगी।
- (3) बायलर परिचारक के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक की लिखित सहमित से बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति को भी ऐसी अविध के लिए भारयुक्त कर सकेगा जो निरंतर दस दिन के लिए विस्तारित की जा सकेगी, जिसने विशेष परिस्थितियों में बायलर का निरीक्षक या निदेशक किसी एक समय पर तीस दिन से अनिधक के लिए किसी समय पर विस्तारित किया जा सकेगा।

8. बायलर को कब उपयोग में समझा जाएगा-

- (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए बायलर को तब उपयोग में समझा जाएगा जो बायलर में या अग्नि पुंज दशा के अधीन पानी गरम करने के प्रयोजन के लिए भट्टी अग्निबाक्स या अग्नि स्थान में अग्नि होती है। किसी बायलर को केवल तभी उपयोग में नहीं समझा जाएगा जब अग्नि को हटा दिया गया हो और संपूर्ण वाष्प और जल संयोजन बंद कर दिए गए हों।
- (2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर को तब उपयोग मे समझा जाएगा जब उसमें इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर से होकर फ्लू गैसें

या अन्य तापन मीडिया प्रवाहित होते हैं और पानी और तापन गैस या मीडिया के बीच पर्याप्त ऊष्मा अंतरण होता है।

अध्याय 3 परीक्षक बोर्ड

9. परीक्षक बोर्ड का गठन.-

- (1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए परीक्षक बोर्ड का, बायलरीं के मुख्य निरीक्षक या निदेशक, उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक अथवा बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट समतुल्य व्यक्ति और सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाने वाले तीन से अन्यून ऐसे सदस्यों से मिलकर गठन किया जाएगा जिन्हें प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर पद्धतियों का शैक्षिक और व्यवहारिक ज्ञान हो।
- (2) बायलरों का मुख्य निरीक्षक या निदेशक पदेन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक अथवा समतुल्य व्यक्ति बोर्ड का पदेन सचिव होगा ।

10. सदस्यों की पदावधि.-

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य की पदाविध तीन वर्ष की होगी। यदि कोई सदस्य स्थायी रूप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को छोड़ देता है या बोर्ड की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों से स्वयं को अनुपस्थित रखता है तो उसे यह समझा जाएगा कि उसने बोर्ड से अपना स्थान खाली कर दिया है और उसकी अविध के अनवसित भाग के लिए, उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी।

11. बोर्ड के कृत्य.-परीक्षक बोर्ड--

i) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा का संचालन करेगा ;

(ii) परीक्षक बोर्ड को किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र सेटर या परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी ;

(iii) बायलर प्रचालक इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ; और

(iv) मत्तता, कर्तव्य की उपेक्षा, बायलर प्रचालक इंजीनियरों की ओर से अवचार के अभिकथन की जांच रिपोटों पर विचार करेगा ।

12. बोर्ड की बैठक,-

बोर्ड की, उसके कारबार के संव्यवहार के लिए, जितनी बार अध्यक्ष की राय हो ऐसे स्थान और समय पर जो अध्यक्ष नियत करे, बैठक की जाएगी ।

- 13. बैठक की सूचना और कारबार की सूची.-
- (1) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए निश्चित समय और स्थान के बारे में डाक भेजने की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी और ऐंसी सूचना के साथ बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले कारबार की सूची संलग्न होगी:

परंतु यदि अध्यक्ष किसी ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में अत्यावश्यक है, विचार करने हेतु कोई बैठक बुलाता है तो सूचना देने के लिए ऐसे युक्तियुक्त समय को, जो वह आवश्यक समझे, पर्याप्त समझा जाएगा ;

(2) किसी ऐसे कारबार पर, जो सूची में नहीं है, अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।

14. गणपूर्ति.-

परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव और दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

15. अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना.-

अध्यक्ष बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

16. बोर्ड का सचिव.-

सचिव, प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले बायलर प्रचालन इंजीनियरों का रिजस्टर रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेशित किए जाएं।

17. आवेदन पर बोर्ड का पृष्ठांकन.-

बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी के मुद्रित आवेदन पत्र पर बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए उसके परीक्षा का परिणाम पृष्ठांकित करेगा । पृष्ठांकित आवेदन, सृचिव को वापस लौटा दिया जाएगा ।

962 GI/11-2

18.बोर्ड का ग्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति-

बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय में, अत्यधिक वृद्ध है या अंग विकार, स्वास्थ्यकर कमजोरी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिशक्ति, बहरेपन, या किसी अंग की हानि से बायलर प्रचालन इंजीनियर के कर्तव्यों का पालन करने में शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी शारीरिक आरोग्य, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो बोर्ड को, बायलर इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति होगी।

- 19. परीक्षक फीस- परीक्षक बोर्ड और अध्यक्ष और सचिव के सिवार्य नियम 9 के अधीन नियुक्त कोई अन्य परीक्षक इन नियमों के अधीन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे और फीस निम्नलिखित होगी :-
- (क) बोर्ड की बैठक के लिए गैर सरकारी रु. 500/-बोर्ड के सदस्यों की बैठक की फीस
- (ख) प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए रु. 300/-
- (ग) उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए रु. 15/-
- (घ) प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए रु. 100/-
- (ङ) अधीक्षण फीस (i) रु.300/- प्रति अधीक्षक, यदि परीक्षा 3 घंटे से अधिक की है।
 - (ii) रु. 150/- प्रति अधीक्षक यदि परीक्षा 3 घंटे से कम है।

20. बोर्ड की कार्रवाइयां

बोर्ड की कोई कार्रवाई, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि के कारण या ऐसी कार्रवाई बोर्ड में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किए जाने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 4 परीक्षा

21. परीक्षा

बोर्ड द्वारा, बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, ऐसे स्थान पर और ऐसी तारीखों पर जो सचिव द्वारा, समय-समय पर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचित की जाएं, आयोजित की जाएंगी।

22. परीक्षा का स्थगन

जब परीक्षा के लिए नियम तारीख को राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया जाता है या जब किसी अकल्पित कारण से नियत तारीख को परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है तो अध्यक्ष, परीक्षा करवाने के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर सकेगा और उसे अभ्यर्थियों के लिए सम्यक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय 5 प्रमाण पत्र

23. प्रमाण पत्र धारकों की सामर्थ्यता -

- (1) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र उसके धारक को किसी भी प्रकार और किसी भी आकार के बायलर या बायलरों का भार साधक होने के लिए अर्हित होगा परंतु यह तब जबिक बायलरों की स्थिति इस प्रकार कि उनमें से किसी की भी दूरी आपस में पचास मीटर के घेरे से अधिक नहीं है।
- (2) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र का धारक सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए बायलर परिचर नियम, 2011 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला समझा जाएगा

परंतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर प्रचालन इंजीनियर प्रवीणता प्रमाणपत्र में यथावर्णित बायलर (बायलरों) का भारसाधक होने का पात्र, होगा ।

24. प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन

किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रदत्त बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें वह सेवा के लिए आवेदन करता है, विधिमान्यता के लिए पृष्ठांकित प्रमाण पत्र लेगा । ऐसा पृष्ठांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

25. फीस-

प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन के लिए 200/- (दो सी रुपए) फीस संदत्त की जाएगी जो प्रतिदेय नहीं होगी। फीस खजाना चालन या किसी अन्य ऐसे प्रकार द्वारा संदत्त की जाएगी, जो सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे।

अध्याय 6

परीक्षा के लिए आवेदन

26. आवेदन का प्ररूप

परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में होगा । आवेदक, प्ररूप के ऐसे भाग को उसी प्रकार भरेगा जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है और किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट या अपने नियोजक की उपस्थिति में प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा, जो उसके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा । इस प्रकार से भरा गया आवेदन निम्नलिखित के साथ सचिव को अग्रेषित किया जाएगा-

- (क) अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताओं की बाबत प्रत्येक शंसा पत्र की अनुप्रमाणित प्रति और उसके व्यवहारिक अनुभव हेतु मूल के साथ उनकी प्रतियां । शैक्षणिक योग्यताओं की बाबत सभी प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जाएंगी ;
- (ख) आयु प्रमाण पत्र के साथ उसके नियोजक का उत्तर चरित्र का शंसा पत्र ।
- (ग) खजाना चालान या कोई अन्य ऐसा प्रकार, जो सरकार, इस निमित्त, उस परीक्षा के लिए, जिसमें आवेदक उपस्थिति होना चाहता है, विनिर्दिष्ट फीस के समर्थन में विनिर्दिष्ट करे; और
- (घ) नई पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (50मी.मी. X 65 मि.मि.) की दो प्रतियां, जिसमें से एक के पीछे, किसी राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी के नियोजक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।

27. अभ्यर्थी द्वारा समाधानप्रद शंसा पत्र प्रस्तुत करना

- (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो अपने अनुभव, योग्यता और अपनी अर्हता सेवा की संपूर्ण अविध के उत्तम आचरण या अर्हता सेवा की अविध में कोई अस्पष्ट व्यवधान को प्रभावित करने वाले समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऐसे शंसा पत्र संपष्ट रूप से उस सामर्थ्यता का जिसमें अभ्यर्थी, शिक्षु इंजीनियर में पर्यवेक्षक या सहायक इंजीनियर आदि के रूप में नियोजित किया था और उन तारीखों का, जिसके बीच में अभ्यर्थी इस प्रकार नियोजित का, विवरण देते हुए ऐसे नियोजन की अविध का कथन किया जाएगा।
- (2) शंसा पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी नियोजित था और वह मिल कारखाना या कार्यशाला के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, प्रति हस्ताक्षरित होगा ।
- (3) ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने किसी मान्यताप्राप्त इंजीनियरी महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया है, या तो पाठ्यक्रम की डिग्री या डिप्लोमा या पाठ्यक्रम पूरा करने में लगे समय देते हुए संस्थान प्रधानाचार्य या अधीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा !
- (4) किसी वाष्प जल यान में सेवा की बाबत शंसा पत्र मुख्य इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा और जलयान के मास्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पोत परिवहन मास्टर द्वारा जारी नाविक निर्वहन प्रमाण पत्र के प्ररूप में हो सकेगा ।
- (5) रेल बायलरों या सरकारी विभाग या स्थानीय निकायों के बायलरों पर दी गई सेवा के किसी शंसा पत्र, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी ने प्रत्यक्ष रूप से सेवा की है और संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

28. शंकास्पद शंसापत्र

यदि सचिव के पास, किसी आवेदन या शंसापत्रों में दिए गए किसी कथन की सत्यता पर शंका करने का कारण है तो वह ऐसी जांच कर सकेगा जो वह उसे सत्यापित करने हेतु ठीक समझे ।

29. मिथ्या शंसा पत्र

(1) यदि जांच करने पर सचिव का यह समाधान हो जाता है अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी शंसा पत्र की कोई तात्विक विशिष्टियां मिथ्या है तो वह अपने निष्कर्ष अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश करने से विवर्जित करने का लिखित आदेश कर सकेगा । यदि ऐसे किन्हीं शंसापत्रों के बल पर, किसी अभ्यर्थी ने पहले ही परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो उसे ऐसी परीक्षा में असफल समझा जाएगा और ऐसी परीक्षा

962 GI/N-3

में असफल घोषित होने के परिणामस्वरूप उसे प्रदत्त प्रमाण पत्र तत्काल वापस ले लिया जाएगा और उसे राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया जाएगा :

परंतु आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना इस नियम के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(2) अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

30. आवेदनों और शंसापत्रों की प्रतियों का रखा जाना

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन और शंसा पत्र अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे । मूल शंसा पत्र यथासंभव शीघ्र अभ्यर्थी को लौटा दिए जाएंगे ।

अध्याय **7** पात्रता मापदंड

31. आयु, अर्हता और अनुभव

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए कोई अभ्यर्थी तेईस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा और उसे तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह :-

- (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिकी या विद्युत या रासायनिक या शक्ति संयत्र या उत्पादन अथवा यांत्रिकरण इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो ;
- (ख) जिसने कम से कम एक हजार वर्गमीटर तापक सतह के बायलर के या कम से कम कुल मिलाकर एक हजार वर्गमीटर तापक सतह के बायलरों की बैटरी के, जिनमें से कम से कम एक बायलर कम से कम पांच सौ वर्गमीटर तापक सतह का हो, प्रचालन और/या रखरखाव में डिग्री धारकों की दशा में कम से कम दो वर्ष की और डिप्लोमा धारकों की दशा में पांच वर्ष सेवा की हो। तथापि, राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान से डिग्री धारकों या डिप्लोमा धारकों के लिए, न्यूनतम कार्य अनुभव की अपेक्षा एक वर्ष होगी।

अध्याय 8 परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

32. परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

किसी अभ्यर्थी को, इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र अर्हित होने के अनुक्रम में परीक्षक का अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समाधान करना होगा कि वह :-

(क) भार, क्षेत्र, परिणाम, मात्रा और भार की संगणना कर सकता है ;

- (ख) भूमि पर प्रयुक्त वाष्प बायलरों के मुख्य प्रकारों के ब्योरे दे सकता है और उन प्रयोजनों और कारणों को बता सकता है जिसके लिए भिन्न -भिन्न प्रकार के बायलर लगाए जाते हैं, और आंकड़ों और प्रदत्त सूत्र से भारतीय बायलर विनियम के अनुसार बायलर के किसी भाग के लिए सुरक्षित चालन दबाव की संगणना कर सकता है।
- (ग) गोलाकार शलाका और शैफ्ट के भीतर का प्रत्यक्ष प्रतिबल, मरोडी प्रतिबल और बंकन प्रतिबल और दिए गए माह के साथ आयताकार शलाकाओं और लीवरों के भीतर के बकन प्रतिबल की संगणना कर सकता है ;
- (ঘ) वाष्प बायलरों, अतितापित और मित्त उपयोजितों के चालन और प्रबंधन को समझ सकता है ;
- (ङ) विभिन्न वाल्वों, कोक, माउंटिंग, फिटिंग और यंत्र सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग और प्रयोजन समझ सकता है :
- (च) भरण पंपों, भरण अंतःक्षेपक, भरण विनियंत्रक, भरण जल फिल्टर और मृदुकर, भरण तापक, वायु तापक, उष्मांक संचायक, कृत्रिम कर्षण, अभिप्रेरित कर्षण, स्वचालित कर्षण नियंत्रण युक्तियों का विवरण दे सकता है और उसके कार्य को समझा सकता है ।
- (छ) दहन, उष्मा और वाष्प संबंधी तथ्यों का उत्तर दे सकता है और कोयले और जल की खपत को और वाष्प की उस मात्रा को संगणित कर सकता है जो किसी भूमि बायलर में कर्षण की भिन्न-भिन्न पद्धतियों के अधीन तापक सतह से उत्पन्न हो सकती है और बायलर संयंत्र की संपूर्ण दक्षता को भी संगणित कर सकता है ;
- (ज) धारा और सतह संक्षेपण, वाष्प विस्तारण के पुनः तापन और कार्यकरण को समझा सकता है ;
- (झ) बायलर और चिमनियों की बुनियाद रखने और दहनशील पदार्थ को सफलतापूर्वक निकालने हेतु चिमनियों की ऊंचाई में प्रयुक्त साधारण पद्धतियों को समझा सकता है ;
- (ञ) धुएं के निवारण के लिए प्रयुक्त मुख्य साधित्र का और उस सिद्धांत का, जिसके आधार पर वे कार्य करते हैं, महत्व समझा सकता है और उपयोग में आने वाली मुख्य यांत्रिक आग वाले, संपेषक, गैस तेल और प्रपूर्णित ईंधन प्रणाली का विवरण दे सकता है ;
- (ट) कालिक सफाई, तापक सतह की पपड़ी या अन्य निक्षेपों को रोकने के लिए प्रयुक्त विधियां और भरे हुए जल में कतिपय पीएच मूल्य को बनाए रखने की आवश्यकता को समझा सकता है ;

- (ठ) बायलरों की त्रुटियों का पता लगा सकता है और उन्हें सुधारने के साधनों और पद्धतियों को बता सकता है :
- (ड) ठंडी या एकत्रित अग्नि की स्थिति से बायलरों और इकोनोमाइजर को चलाने में बरती जाने वाली सावधानियों को समझ सकता है ;
- (ढ़) किसी इकोनोमाइजर को उस समय बंद करने के लिए जब बायलर वाष्य चालित हो, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझ सकता है ;
- (ण) ईंधन की बचत करने के लिए और बायलर गृह में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के लिए अंगीकृत पद्धतियों को समझा सकता है ;
- (त) बायलर के घटकों और पाईपिंग में प्रयुक्त सामग्री ; और
- (थ) बायलरों और बायलर के आधारों या उसके भाग के कार्य प्रणाली की रूप रेखा और उसके रेखा चित्र को पढ़ सकता है और तैयार कर सकता है ।

अध्याय 9 परीक्षा की रीति

33. परीक्षा की प्रकृति

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूपमें प्रवीणता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा ऐसी प्रकृति की होगी जिसे भूमि पर प्रयुक्त सभी प्रकार और दबावों के वाष्प जनित संयंत्रों के भार साधन के लिए अभ्यर्थी की योग्यता और तकनीकी ज्ञान की परीक्षा की जा सके।

34. परीक्षा के विषय

परीक्षा का संचालन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

- (1) लिखित परीक्षा जिसमें एक प्रश्न पत्र नियम 32 के उपनियम (क) से उपनियम (ज) के अधीन नियत पाठ्य विवरण को पूरा करने वाला बायलरों से संबंधित और दूसरा प्रश्न पत्र नियम 32 के उपनियम (झ) से उप नियम (त) के अधीन नियत पाठ्य विवरण को पूरा करने वाला बायलरों से संबंधित होगा ।
- (2) नियम 32 के उपनियम (थ) को पूरा करने वाली लिखित रेखा चित्र परीक्षा ।

(3) वायलर के प्रयोग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौखिक परीक्षा और यदि परीक्षक द्वारा अपेक्षित है तो किसी बायलर गृह में उसके कर्तव्यों के व्यवहारिक पहलुओं को पूरा करने के लिए उसकी योग्यता को परीक्षा भवन या किसी कार्यशाला में प्रदर्शित करना ।

35: कार्य का निर्धारण

अभ्यर्थी को प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में और मौखिक तथा रेखा चित्र परीक्षा में कम से कम पैतालीस प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे, किंतु इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के क्रम में संपूर्ण योग कुल अंकों का पचास से कम नहीं होना चाहिए।

36. परीक्षा की फीस

अभ्यर्थी, बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा हेतु 1500/- रु. (एक हजार पांच सौ रुपए) का संदाय करेगा । फीस का संदाय खजाना चालान या किसी अन्य ऐसी फीस से किया जाएगा, जो सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे ।

37. फीस का प्रतिदाय

ऐसा अभ्यर्थी, जो इन नियमों के अधीन एक बार परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, किसी फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा । जब कोई अभ्यर्थी निश्चित तारीख को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष उसे अगली परीक्षा में दूसरी फीस का संदाय किए बिना सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

38. अपात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी की फीस

कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने परीक्षा फीस का संदाय किया है किंतु परीक्षा के लिए अपात्र पाया जाता है तो उक्त फीस समपहृत हो जाएगी।

अध्याय 10 प्रमाण पत्र प्रदान करना

39. प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करना

यदि अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसका परिणाम राज्य के राजपत्र या संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथा संभव शींघ्र उसे प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

962 GI/11-4

40. प्रमाण पत्र का प्ररूप

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्ररूप 'ख' में होगा ।

41. प्रमाण पत्र पर पृष्टांकन के लिए आवेदन

जारी करने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विधिमान्यता के लिए प्रमाण् पत्र पर पृष्टांकन करने के लिए कोई आवेदन प्ररूप के के किया जाएगा।

42. पहचान करने की अपेक्षा

इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक प्रमाण पत्र पर उसके धारक का, नियम 26 के अधीन उसके आवेदन के साथ पहले प्रस्तुत आवक्ष फोटो, और उसके हस्ताक्षर तथा ऐसी विशिष्टियां होंगी जो पहचान के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों।

43. प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रदान करना

- (1) जब कभी प्रमाण पत्र का धारक अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त प्रमाण पत्र खो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है तो उसे 200/-रु०(दो सौ रुपए) फीस का संदाय करने पर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रदान की जाएगी, जो यथा पूर्वोक्त उस अभिलेख के अनुसार होगी, जिसका वह हकदार प्रतीत होता है, जिसकी उन सभी प्रयोजनों के लिए वैसी ही विधिमान्यता होगी जो मूल प्रमाण पत्र की होती । ऐसे प्रमाण पत्र पर "प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति" शब्द लिखे जाएंगे । फीस खजाना चालान या ऐसी अन्य रीति द्वारा संदत्त की जाएगी जो सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे ।
- (2) यदि जांच करने पर सचिव का यह समाधान हो जाता है कि प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किया गया कोई कथन मिथ्या है तो वह उक्त बोर्ड को उसकी अगली बैठक में मामले की रिपोर्ट करेगा और बोर्ड अपने विवेकाधिकार से, प्रमाण पत्र को रह कर सकेगा या यथा पूर्वोक्त प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति या तो तुरंत या ऐसी अवधि के पश्चात् जो बारह मास से अनिधक की ऐसी अवधि के पश्चात् , जो बोर्ड प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, प्रदान करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

44. प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन, किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस कथन की घोषणा के साथ, कि इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रमाण पत्र खो गया है, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल किया जाएगा।

45. मूल प्रमाण पत्र की अविधिमान्यता

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के जारी किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र विधिमान्य नहीं रहेगा और यदि वह उसके धारक के कब्जे में है तो उसे रहकरण हेतु अध्यक्ष के कार्यालय में वापस किया जाएगा ।

46. प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख इन नियमों के अधीन प्रदत्त सभी पत्रों की दूसरी प्रति को अध्ययन के कार्यालय में अभिलिखित किया जाएगा ।

अध्याय 11 जांच

47. प्रमाण पत्र धारकों के संबंध में जांच

यदि जिला मजिस्ट्रेट या बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक के पास किसी भी क्रारण से यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर की ओर से कर्तव्य की अक्षमता, मत्तता, अवचार या उपेक्षा के अभिकथनों की जांच की जानी चाहिए तो वे या तो स्वयं ऐसी जांच करेंगे या अपने अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा इंसकी जांच करवाएंगे, और -

- (क) उस व्यक्ति की उपस्थिति में कार्यवाहियां की जाएंगी जिसका आचरण जांच के अध्यधीन है और उसको ऐसा कथन, जो वह करना चाहता है, करने का और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा ।
- (ख) जांच करने वाले अधिकारी द्वारा उस पर दिए गए निष्कर्षों के साथ ऐसी जांच की कार्यवाही, उस अधिकारी द्वारा बोर्ड के विनिश्चय के लिए अग्रेषित की जाएगी ।

48. प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण

जब नियम 47 के अधीन कोई जांच की जा रही है तो ऐसे प्रमाण पत्र का धारक जांच के भारसाधक अधिकारी की मांग पर, तुरंत ऐसी जांच के परिणाम के लंबित रहने के दौरान उक्त अधिकारी को अपना प्रमाण पत्र अभ्यर्पित कर देगा।

49. बोर्ड का विनिश्चय

(1) बोर्ड, नियम 47 के अधीन की गई जांच की कार्यवाही, उस पर दिए गए निष्कर्ष के साथ प्राप्त होने पर, प्रमाण पत्र की मान्यता को अनुज्ञात कर सकेगा या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे या स्थायी रूप से प्रमाण पत्र को रह कर सकेगा।

- (2) उप नियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व अभ्यर्थी को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।
- (3) बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप 'क' (नियम 26 और नियम 41 देखें) 📝

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

भाग -1 आवेदक का नाम आदि

- 2. नाम (पूरा नाम)
- 3. पिता का नाम
- 4. राष्ट्रीयता
- 5. जन्म की तारीख
- 6, जन्म स्थान
- 7. स्थायी पता

फोटोग्राफ

- 8. क्या किसी पूर्व परीक्षा में सम्मिलित हुआ है
- 9. यदि हां तो तारीख और स्थान के ब्यौरे

भाग 2 : प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों की विशिष्टियां

निलंबन या रहकरण के कारण 7		
के कारण		
मिलंबन के कारण		
क व		
न् च	· · · · · ·	
		•
निलंबन रहकरण तारीख 6		
田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田		
मी पी		
भी भ	¥	
भूक अ		
जा स		
कि भूक भूक		
वया किसी समय निलंबित वि या रह हुआ है और यदि र ऐसा है तो कथन करे कि त किसके द्वारा 5		
रीख		
F 4		
6		
जारी करने की तारीख		3
कु		Annual Control of the
म		
करने 3		
स्थान		
ন্স		
1 JE 2		
प्रमाण का वर्ग		
श ज		
व्याः व		
प्रमाण पत्र का संख्यांक 1		

भाग 3 : परिसाक्षों की भूची और सेवा का विवरण ोने स्तंय १ में दी गई संख्याओं के तत्त्थानी क्रम संख्यांक में दिए जाएं)

1	मरा	टिपणिया	13		
-	आवेदक द्वारा जाएगा	सत्यापन करने वाले के आद्यक्षर	12		
		त	11		
K	वह अवधि जिसमें वह नियोजित था	मास	10		
	वह अत् वह निर	व व	6	aggeration organic plans i three developments and other contractions	
		समाप्ति की तारीख	8		b
म संख्याक म ।व	आवेदक की सेवा	/प्रारंभ की तारीख	7		
1 में दी गई संख्याओं के तत्त्थानी क्रम संख्याक में विर जार)	हैसियत जि समें नियोजित है		9		
ने स्तंभ 1 में दी गई संख्या	उन बायलरो की संख्या, प्रकार और तापक सतह जिस पर कार्य किया है		5		
(परीसाक्षी नीचे स्तंभ	उस कारखाना या कार्यशाला का पता और पदनाम जहां वह नियोजित		4		*
	परिसाक्षो परिसाक्षो पर की हस्ताक्षर करने तारीख वाले व्यक्ति		es		
	परिसाक्षों की तारीख		2		
	परिसाक्षों का क्रम संख्याक	3	-	,	

कुल सेवा सेवा में लगाया गया वह समय जिसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं सेवा में लगाया गया वह समय जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भाग 4- आवेदक द्वारा की गई घोषणा

में घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप के भाग-1, भाग 2 और भाग 3 में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य हैं और भाग 2 में प्रगणित और इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत कागजपत्र वास्तविक और असली हैं और सत्य और सही हैं।

में यह और घोषणा करता हूँ कि भाग-3 में दिए गए विवरणों में बिना किसी अपवाद के मेरी सेवा की संपूर्ण अवधि का सत्य और सही विवरण अंतर्विष्ट है और मैं शुद्ध अंतः करण से उसकी सत्यता का विश्वास करके यह घोषणा करता हूँ।

		00
तारीख	 	20

आवेदक के हस्ताक्षर वर्तमान पता

की	उपस्थिति में हस्ताक्षर	
हरताक्षर		
ग्दनाम		

टिप्पण:-1. प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी रीति में अपेक्षित फीस संलग्न की जानी चाहिए जो सरकार द्वारा विहित की जाए ।

- 2. आवेदन के साथ आवेदक के आवक्ष (आकार 50 मि.मि. x 65 मि.मि.) के, किसी राजपत्रित अधिकारी या अभ्यर्थी के नियोजक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित दो नवीनतम फोटोग्राफ,जिसके पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।
- 3. परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति मिथ्या विवरण देता है तो वह अभियोजन का दायी होगा ।
- 4. अपूर्ण आवेदन अस्वीकार करने योग्य होगा ।

भाग 5 (आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा)

इंजीनियर के रूप में प्रमाण पत्र के लिए आयोजित परीक्षा में सफल /असफल हो ग बायलर प्रचालन इंजीनियर के रू	श्रीकी बायलर प्रचालन परीक्षा की गई और वहके दौरान त्या है । अप में प्रवीणता प्रमाण पत्र उसे सफल प्रमाणित करने के भे को जारी किया गया और उसकी प्रति
	(सचिव) परीक्षक बोर्ड
	प्ररूप ख (नियम 40 देखें)
बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम 20	11 के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र
संतारीख	मास 2ंo
निवासीअधीन प्रदत्त किसी बायलर प्रचालन उल्लिखित नियमों के अधीन नियुक्त प्रमाण पत्र सभी प्रकार या आकार के यह तब जब सभी बायलर 50 मीटर	
तारीख	मास20
	अध्यक्ष
सचिव परीक्षक बोर्ड	परीक्षक बोर्ड

फोटो	
•	

विवरण नामावली	
1. जन्म की तारीख और स्थान	,
2. स्थायी पता	
3. राष्ट्रीयता	
4. ऊंचाई (बिना जतों के)	
 पहचान के चिन्ह 	00000
6. बाएं अंगूठे का निशान	******
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	7

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर] रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2011

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of subsection (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I Preliminary

1. Short title and commencement.

- (1) These Rules may be called the Boiler Operation Engineers' Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

In these rules, unless the content otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Boilers Act, 1923, (5 of 1923);
- (b) "Board" means the Board of Examiners constituted under these rules;
- (c) "Boiler Operation Engineer" means a person granted with a certificate of proficiency as a boiler operation engineer under these rules;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "Chief Inspector" shall have the meaning assigned to it under clause (c) of section 2 of Boilers Act, 1923 (5 of 1923);
- (f) "Form" means a form appended to these rules;
- (g) "Government" means the State Government or Administration of Union

- (h) "Secretary" means the Secretary to the Board;
- (i) "Section" means a section of the Act;
- (j) any reference in these rules to a boiler or boilers shall be deemed to include also a reference to an economiser or economisers;

CHAPTER-II GENERAL

3. Supervision of operation of Boilers.-

The owner of a single boiler or two or more boilers connected in a battery or of many separate individual boilers situated within a radius of 50 meters having a total heating surface exceeding one thousand square meters in any of the cases shall not use the same or permit the same to be used unless the boiler or boilers are placed in direct charge of a competent person specified in rule 4 in addition to such number of boiler attendants as specified in these rules:

Provided that the Chief Inspector may permit any Boiler Attendant to remain in-charge of a Boiler for a maximum period of three months not withstanding any thing contrary contained in these rules:

Provided further that nothing in these rules shall debar a person holding a First Class Certificate of Competency granted under the Boiler Attendants' Rules, 2011 from remaining in attendance and in charge of a boiler or boilers of any size and any such certificate shall for the purpose of these rules be deemed to have been granted under these rules.

4. Competent person shall possess certificate and extent of qualification.-

No person who does not possess a Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer under these rules shall be deemed a fit and proper person to hold charge of a boiler or boilers exceeding the limits laid down in rule 3.

5. Production of Certificate. -

Boiler Operation Engineer holding a Certificate of Proficiency under these rules shall, at all reasonable times during the period any boiler is in his charge or attendance, be bound to produce such certificate when called upon to do so by any of the persons empowered under section 15 to call for the production of a certificate or provisional order granted under the Act.

6. Owner to furnish Chief Inspector or Director of Boilers with particulars of Certificates .—

- (1) The owner of a boiler who engages any person to be incharge thereof, shall within seven days of such engagement furnish to the Chief Inspector or Director of Boilers with full particulars of such person including the serial number, date and place of issue of his certificate to hold as such.
- (2) The owner of a boiler who engages any person to hold charge of such boiler in place of a person who is incharge under sub-rule (1), in the event of such person leaving his employment or in the event of the death of such person, report that fact within seven days to the Chief Inspector or Director of Boilers.

7. Limits of daily period of attendance, reliefs, and sphere of action.-

- (1) A person in-charge of a boiler shall be deemed to be in direct and immediate charge of the same when he is within 100 meters of such boiler.
- (2) A person in-charge of a boiler for which a Certificate of Proficiency is required under these rules may be relieved of charge in any one day for not more than two periods, which when combined do not exceed two hours in duration by a person holding a first class certificate of competency as a Boiler attendant.
- (3) The holder of a first class Certificate of Competency as a Boiler attendant may also with the consent in writing of the Chief Inspector or Director of Boilers, relieve a person holding a Certificate of Proficiency as Boiler Operation Engineer for a period which may extend to ten consecutive days which, in special circumstances, the Chief Inspector or Director of Boilers may extend to any length of time not exceeding thirty days at a time.

8. When Boiler shall be deemed to be in use.-

(1) Boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is fire in the furnace fire box or fire place for the purpose of heating the water in the boiler or under banked fire condition. A boiler shall be deemed to be not in use only when the fire is removed and all steam and water connections are closed.

(2) An economiser or waste heat boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is a flow of flue gases or other heating media past the economiser or waste heat boiler and an appreciable heat transfer takes place between the water and the heating gases or media.

CHAPTER III BOARD OF EXAMINERS

9. Constitution of the Board of Examiners .-

- (1) A Board of Examiners shall be constituted for the State or Union Territory consisting of the Chief Inspector or Director of Boilers, a Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent as nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers, and not less than three other members having academic and practical knowledge of prime movers and modern boiler practices to be appointed by the Government from time to time.
- (2) The Chief Inspector or Director of Boilers shall be the ex-officio Chairman and Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers shall be the ex-officio Secretary to the Board.

10. Term of Office of the Members .-

The term of office of each of the members other than the ex-officio members of the Board shall be three years. If a member leaves the State or Union Territory permanently or absents himself from three consecutive meetings without the permission of the Board, he shall be deemed to have vacated his seat on the Board and another person may be appointed in his place for the unexpired portion of his term.

11. Functions of the Board.-

The Board of Examiners shall -

i) conduct examinations and practical tests of candidates for the grant of certificates of proficiency as a Boiler Operation Engineer;

- ii) have power to appoint any person as a paper setter or examiner at any examination;
- iii) grant Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer; and
- iv) consider the reports of enquiries into allegations of drunkenness, negligence of duty, misconduct on the part of Boiler Operation Engineers.

12. Meeting of the Board.-

The Board shall meet as often as may be in the opinion of the Chairman be necessary for transacting its business and at such place and time as may be appointed by the Chairman.

13. Notice of meeting and list of business .-

(1) Notice of not less than fifteen days from the date of posting shall be given of the time and place fixed for each meeting of the Board to every member of the Board, and with such notice shall be attached the list of business to be discussed at the meeting:

Provided that if the Chairman calls any meeting for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary, shall be deemed sufficient;

(2) Any business which is not on the list shall not be considered at the meeting except with the permission of the Chairman.

14. Quorum.-

The Chairman or the Secretary and two members of the Board of Examiners shall form a quorum.

15. Chairman to preside at meetings of the Board -

The Chairman shall preside over all meetings of the Board and in his absence, a member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

962 GI/11-7

16. Secretary of the Board.-

The Secretary shall maintain a register of Boiler Operation Engineers holding Certificate of Proficiency and shall perform such other functions as are specified in these rules or as the Chairman may direct from time to time.

17. Board's endorsement on application.-

The Board shall endorse on the printed application form of each candidate the result of his examination for a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer. The endorsed application shall be returned to the Secretary.

18. Board's Power to refuse issue of Certificate.-

The Board may direct any candidate, who in the opinion of the majority of the members appears too old or physically unfit through deformity, constitutional weakness, defective eyesight, deafness or loss of a limb to perform efficiently the duties of a Boiler Operation Engineer, to produce a certificate of fitness from a Registered Medical Practitioner. If, however, the candidate fails to produce a certificate of physical fitness, the Board shall have power to refuse the issue of a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer.

19. Examiner's Fees.-

Each member of the Board of Examiners and any other examiner appointed under rule 9 except Chairman and Secretary shall be entitled to receive fees for examining candidates under these rules and the rate of fees shall be as follows:-

(a) sitting fee for non official Board Rs.500/Members for Board Meeting

(b) for setting question paper Rs.300/-

(c) for valuation of answer paper Rs.15/-

(d) for examining each candidate Rs.100/-

(e) invigilation Fee (i) Rs.300/- per invigilator, if the examination exceeds 3 hrs.

ii) Rs.150/-per invigilator, if the examination does not exceeds 3 hrs.

20. Actions of the Board.-

No action of the Board shall be deemed to be invalid by reasons of any defect in the constitution of the Board or by reason of such action having been done during the period of any vacancy in the Board.

CHAPTER IV EXAMINATION

21. Examination.-

Examination for the grant of Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer shall be held by the Board at such place and on such dates as may be notified by the Secretary from time to time in the State or Union Territory.

22. Postponement of examination.-

When a date fixed for the examination is declared as a gazetted holiday or when for any unforeseen reason the examination cannot be held on the date fixed, the Chairman may fix some other date for holding the examination and the same shall be duly notified to the candidates and the members of the Board of Examiners.

CHAPTER V CERTÍFICATE

23. Capabilities of holders of Certificate.-

- (1) The Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer shall qualify the holder thereof to be incharge of a boiler or boilers of any type and size provided that the boilers are so situated that none of them is at a distance of more than fifty meters radius from any one of them.
- (2) The holder of a Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer shall for all intents and purposes be deemed to have fulfilled the requirements of the Boilers Attendants' Rules, 2011:

Provided that a Boiler Operation Engineer holding Certificate of Proficiency prior to the publication of this notification in the official Gazette as a Boiler Operation Engineer issued by a Government prior to the date of this Notification shall be eligible to be in-charge of boilers(s) as mentioned in the Certificate of Proficiency.

24. Endorsement on a Certificate.-

A person holding a Certificate of Proficiency as a Boiler Operation Engineer granted by a Board of any other State or Union Territory shall on application have the certificate endorsed for validity in the State or Union Territory in which he applies for services. Such endorsement shall be made by the Chairman of the Board.

25. Fee.-

A Fee of Rs. 200/- (Rupees Two hundred only) shall be paid for endorsement on the certificate which shall not be refundable. Fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode as the Government may notify in this behalf.

CHAPTER VI APPLICATION FOR EXAMINATION

26. Form of application.-

Every application for examination shall be in Form 'A'. The applicant shall fill in such part of the Form as are to be filled in by a candidate and shall sign the form in the presence of a Gazetted Officer or any Magistrate or his employer who shall attest his signature. The application so filled in shall be forwarded to the Secretary accompanied by –

- (a) one attested copy of each of the testimonials in respect of academic qualifications, and originals alongwith their copies for practical experience of the candidate. All originals in respect of academic qualifications shall be produced at the time of interview;
- (b) testimonials of good character from his employer with a certificate of age;
- (c) a Treasury Challan or such other mode as the Government may specify in this behalf in support of payment of the fee specified in these rules for the examination at which the applicant prefers to appear; and

(d) two copies of recent passport size photographs (size 50mm x 65mm) one of which shall bear the signature of the applicant on the back, duly attested by a Gazetted Officer or candidate's employer.

27. Candidate to produce satisfactory testimonials.-

- (1) No candidate shall be admitted to an examination who cannot produce satisfactory testimonials certifying his experience, ability, and good conduct for the whole period of his qualifying service or any unaccounted break in the period of qualifying service. Such testimonials shall clearly state the capacity in which candidate was employed, whether as an Apprentice Engineer, Supervisor, Assistant Engineer etc. and the periods of such employment stating the dates between which candidate was so employed.
- (2) A testimonial shall be signed by a person under whom the candidate was employed and be countersigned by the owner or agent of the mill, factory or workshop or by such other persons as the Government may notify in this behalf.
- (3) Candidates who have undergone a course of training at a recognised Engineering College or Technical Institution must produce either the degree or diploma of the course or a certificate from the Principal or Superintendent of the Institution giving the period devoted in completing the course.
- (4) A testimonial in respect of service in a steamship may be signed by the Chief Engineer and counter signed by the master of the vessel or may be in the form of a seaman's discharge certificate issued by a Shipping Master.
- (5) A testimonial of service rendered on railway boilers or boilers belonging to a Government Department or local bodies, shall be signed by a responsible officer under whom the candidate has directly served and countersigned by the head of the Department concerned.

28. Doubtful testimonials.-

If the Secretary has reason to doubt the truth of any statement made in any application or testimonials, he may make such enquiries as he thinks fit to verify the same.

962 GI/11-8

29. False testimonials.-

(1) If on enquiry the Secretary is satisfied that any testimonial submitted by a candidate is false in any material particulars, he shall submit his findings to the Chairman who may by a written order debar such candidate from being admitted to any examination held under these rules. If, on the strength of any such testimonials, a candidate has already been admitted to an examination, he shall be deemed to have failed in such examination and any certificate granted to him as a result of his having been declared to have passed such examination, shall be forthwith regalled and be cancelled by a notification published in the Official Gazette:

Provided that no action shall be taken under this rule without giving the applicant an opportunity of being heard in the matter.

(2) Anybody aggrieved by the decision of the Chairman may, within thirty days of the date of the receipt of the order, appeal to the Government whose decision thereon shall be final.

30. Keeping of applications and copies of testimonials.-

Applications and copies of testimonials submitted by candidates shall be kept as records in the office of the Chairman. The Original testimonials shall be returned to the candidate as soon as possible.

CHAPTER VII ELIGIBILITY CRITERIA

31. Age, qualifications and experience.-

A candidate for a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall not be less than twenty three years of age and shall not be admitted to the examination unless he:-

- (a) possesses a degree or diploma in Mechanical or Electrical or Chemical or Power Plant or Production or Instrumentation Engineering from a recognised Institution;
- (b) has served for not less than two years in case of Degree holders and for five years in case of Diploma holders in the operation and / or maintenance of a Boiler of not less than one thousand square meters heating surface or a Battery of Boilers of not less than one thousand square meters heating surface in aggregate out of which at least

one Boiler of not less than five hundred square meters heating surface. However, for degree holders or post graduate diploma holders from a National Power Training Institute, requirement of minimum working experience shall be one year.

CHAPTER VIII SYLLABUS FOR EXAMINATION

32. Syllabus for examination.-

A candidate in order to be qualified for a certificate of proficiency under these rules, shall, inter alia, satisfy the examiner that he -

- (a) can calculate loads, areas, volumes, quantities and weights;
- (b) can give description of the principal types of steam boilers used on land and to state the purposes and reasons for which different types of boilers are employed; and from the data and formulae supplied, calculate the safe working pressure for any part of a boiler in accordance with the Indian Boiler Regulations;
- (c) can calculate the direct stress, the torsional stress and the bending stress in round bars and shafts and the bending stress in rectangular bars and levers with given load;
- (d) understands the working and management of steam boilers, super heaters and economizers;
- (e) understands the use and purpose of various valves, cocks, mountings, fitting and other safety devices;
- (f) can give a description of and explain the functions of feed pumps, feed injectors, feed regulators, feed water filters and softeners, feed heaters, air heaters, calorifiers, steam accumulators, forced draught, induced draught and automatic draught control devices;
- (g) can answer questions on fact relating to combustion, heat and steam and calculate consumption of coal and water and quantity of steam that may be generated from a given heating surface under the various systems of draught, in any land boiler and also calculate the overall efficiency of boiler plant;
- (h) can explain jet and surface condensation, reheating and the working of steam expansion;

- (i) can explain the general methods employed in laying foundation for boilers and chimneys and the suitable area and height of chimneys to promote efficient combustion;
- (j) can explain the significance of principal appliances in use for the prevention of smoke and the principle on which they work and give description of the principal mechanical stokers, pulverisers, gas, oil and pulverized fuel systems in use;
- (k) understands the need for periodical cleaning, the methods used for prevention of scale or other deposits on heating surfaces and the necessity for maintaining a certain PH value in feed water;
- (1) can detect defects in boilers and state the means and methods of rectifying them.
- (m) understands the precautions to be taken for starting a boiler and economiser from cold or from banked fire condition;
- (n) understands the procedure to be adopted in putting an economizer out of commission while the boiler is on steam;
- (o) can explain the methods adopted for the achievement of fuel economy and the use of various instruments used in a Boiler House;
- (p) materials used in Boiler components and piping; and
- (q) can read and prepare a working sketch and drawing of boilers and boiler mounting or parts thereof.

CHAPTER IX MODE OF EXAMINATION

33. Nature of Examination.

Examination for certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall be of such nature as to test the practical ability and technical knowledge of the candidates to be in charge of steam generating plants of all types and pressures in land use.

34 Subjects for Examination.-

Examination shall be conducted in the following manner:-

- (1) written examination consisting of one paper on Boilers to cover the syllabus stipulated under sub-rule (a) to sub-rule (h) of rule 32 and another paper on Boilers to cover the syllabus stipulated under sub-rule (i) to sub-rule (p) of rule 32.
- (2) A written drawing examination covering sub-rule (q) of rule 32.
- (3) An oral examination to answer questions pertaining to Boiler Practices and if required by the examiner to demonstrate in the examination room or in a workshop, his ability to carry out the practical aspects of his duties in a Boiler House.

35. Assessment of work.-

A candidate shall secure at least forty five per cent of the marks in each written paper as well as in the oral and drawing examinations; but the aggregate should not be less than fifty per cent of the total marks in order that he can be awarded a certificate of proficiency under these rules.

36. Fees for Examination.-

A Candidate for examination for certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall pay a fee of Rs.1500/- (Rupees One thousand five hundred only). Fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode as the Government may notify in this behalf.

37. Refund of Fee.-

A candidate once admitted to an examination under these rules shall not be entitled to any refund of fees. When a candidate is unavoidably absent from the examination on the date fixed, the Chairman may allow him to appear without payment of a second fee at the next examination.

38. Fee for candidate found ineligible.-

A candidate who has paid the examination fee but is found ineligible for an examination shall forfeit the said fee.

962 GI/11-9.

CHAPTER X

GRANT OF CERTIFICATES.

39. Grant of certificate of proficiency.-

If a candidate passes the examination, his result shall be notified in the State official Gazette or Union Territory official Gazette and he shall be granted a certificate of proficiency as soon as practicable after such publication.

40. Form of certificate.-

A certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall be in Form 'B'.

41. Application for endorsement on a certificate.-

An application for endorsement in the certificate for validity in a State or Union Territory other than the State or Union Territory of issue, shall be made in Form 'A'.

42. Identification requirement.-

Every certificate granted under these rules shall bear a bust photograph of the holder thereof previously submitted along with his application under rule 26 and his signature and such other particulars as may be required for the purpose of identification.

43. Grant of duplicate certificate.-

- (1) Whenever the holder of a certificate proves to the satisfaction of the Chairman that the certificate granted to him under these rules has been lost, stolen or destroyed or mutilated, he shall be granted on payment of a fee of Rs.200/-(Rs Two hundred only), a duplicate certificate to which, by the record so kept as aforesaid, he appears to be entitled, which shall have for all purposes the same validity as the original certificate. The words "Duplicate Certificate" shall be written on such certificate. Fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode as the Government may notify in this behalf.
- (2) If on enquiry the Secretary is satisfied that any statement made by the applicant for the issue of duplicate certificate is false, he shall report the case to the said Board at its next Meeting and the Board may at its discretion cancel the certificate

or permit the grant as aforesaid of a duplicate certificate either immediately or after such period not exceeding twelve months as the Board may think fit having regard to the circumstances of each case.

44. Application for duplicate certificate.-

Application for a duplicate certificate shall be lodged with the Chairman with a declaration before a Gazetted Officer or a Magistrate stating that the certificate granted under these rules, has been lost.

45. Invalidity of original certificate.-

On the issue of a duplicate certificate, the original certificate shall cease to be valid, and shall if in the possession of the holder thereof be returned to the office of the Chairman for cancellation.

46. Record of duplicate certificate.-

Duplicate of all certificates granted under these rules shall be recorded in the office of the Chairman.

CHAPTER XI ENQUIRY

47. Enquiry regarding certificate holders.-

If a District Magistrate or the Chief Inspector or Director of Boilers has reason to believe from any cause whatsoever, that, any enquiry should be made into allegations of incompetence, drunkenness, misconduct or negligence of duties on the part of a Boiler Operation Engineer holding Certificate of Proficiency under these rules, they shall either themselves make such enquiry or cause it to be made by their subordinate officers, and

(a) the proceedings shall be held in the presence of the person whose conduct forms the subject of enquiry and he shall have an opportunity of making any statement he may wish to make and of producing any evidence in his defence.

(b) the proceeding of any such enquiry together with the findings thereon by the officer conducting the enquiry shall be forwarded by that officer for decision of the Board.

48. Surrender of certificate.-

When an enquiry is being conducted under rule 47, the holder of such certificate shall, on demand by the officer in charge of the enquiry, forthwith surrender his certificate to the said officer pending the result of such enquiry.

49. Decision of the Board.-

- (1) On receipt of the proceeding of the enquiry conducted under rule 47 together with findings thereon the Board may allow the certificate to stand or suspend it for such period as it thinks fit or may cancel the certificate permanently.
- (2) Before taking any action under sub-rule (1) the candidate shall be given an opportunity of being heard in the matter.
- (3) Anybody aggrieved by the decision of the Board may, within thirty days of the date of the receipt of the order, appeal to the government whose decision thereon, shall be final.

FORM 'A'

(See rules 26 and 41)

Application for certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer

Part I – Name, etc. of the applicant.

- 2. Name (in full).
- 3. Father's Name.
- 4. Nationality.
- 5. Date of Birth.
- 6. Place of Birth
- 7. Permanent Address

Photograph

- 8. Whether appeared in any previous examination
- 9. If so, details of date and place

Part II: PARTICULARS OF ALL CERTIFICATES SUBMITTED

of n or ion			
Reasons of suspension or cancellation	L.	:	
Date of suspension or cancellation	9		
If at any time suspended or cancelled, and if so state by whom	5		
Date of issue	4		
Place of issue	3		
Class of Certificate	2.		
Number of the Certificate	for		

PART III: LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENTS OF SERVICE

,
below)
iven in column
n ii
00
numbers
the
10
corresponding
ally
seri
mbered :
e nr
o pe
ls to
testimonials t
(the

Not to be filled in by the applicant	Remarks	13	
Not to be the ap	Initial of Verifier	12	A j
ch	Days	=	
Period for which employed	Months	10	
Per	Years	6	
pplicant	Date of termination	8	
Service of Applicant	Date of commenceme nt	7	
Capacity in which employed		9	
Number, type and heating surface of boilers worked		5	•
Address and designation of factory or Workshop where		4	C PSG
Name of person signing the testimonials		3	
Date of testimonials		2	
Serial Number of testimonials			

Total Service
Time served for which certificates are produced.
Time served for which no certificates are produced.

Part IV - DECLARATION TO BE MADE BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the statements made in Part I, II and III of this Form are correct and true to the best of my knowledge and belief; and that the papers enumerated in Part II and submitted with this form are true and genuine documents and further that the copies of the documents submitted with this form are true and correct. I further declare that the statements made in Part III contain a true and correct account of the whole period of my service without exception, and I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

the statements me			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
service without e	xception, and	I make this declaration	conscientiously believing the same to
be true.			
Dated at	this	day of	20
		Signature of the a	pplicant
		Present Address	
Cincilia the pro	sance of		
Signed in the pres	Selice of		
Signature			
Designation			
NOTE:- 1. Every ap	plication must b	e accompanied with the requ	nisite fee in the manner as may be prescribed by
the Government.			
2. Two copies of a	a recent bust pl	notograph of the applicant	(Size 50mm x 65mm) must accompany the
application with app	licant's signature	e on the back-thereof, duly a	tested by a Gazetted Officer or the candidate's
employer.		6 1	admission to the evenination renders himself
		ement for the purpose of the	admission to the examination renders himself
liable to prosecution		Lauricated	The second secon
4. Incomplete applie	cation is liable to	PART V	ă.
		(Not to be filled by the ar	onlicant)
o contraction of the		has been exa	mined for Certificate of Proficiency as Boiler
Certified that Shri	and that he has I	passed/failed in the examinat	ion held during
Operation Engineer	ficate of proficie	ncy as Boiler Operation Engi	neer when certified to have passed
		d on and duplic	
Cerimone No.	15340		

(Secretary).

Board of Examiners

FORM B

(See Rule 40)

Certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer under the Boiler Operation Engineers' Rules, 2011

No	OI	20	
Shri		a	ged about Years, at present residing at
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
having satis	sfied the Board of Exami	ners appo	inted ander the above noted rules of his
proficiency	to fulfill the duties of a B	oiler Oper	ration Engineer is granted under the Boiler
Operation E	ngineer's Rules, 2011, this	s certificat	te of proficiency authorizing him to be in-
charge of bo	ilers of any type or size pro	vided that	all the boilers are situated within a radius of
50 meters	•		
Date	d at this Day of	20	
•			
Secretary			Chairman
Board of Exa	aminers		Board of Examiners
			Description Roll
	1.	1.	Date and Place of Birth
РНОТО		2.	Permanent address
		3.	Nationality
		4.	Height (without shoes)
ý.		5.	Marks of Identification
	· ·	6.	Left Thumb impression

Signature of applicant Endorsements

[F. No. 6(11)/2009-Boilers] RENU SHARMA, Jt. Secy.